# इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

## प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 03/08/2017 को अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध की गयी कार्यवाही निम्नवत है–

जोन संख्या–01 में जोनल अधिकारी श्री सुशील कुमार चौबे द्वारा अवैध निर्माणों के विरूद्ध 06 नोटिस निर्गत की गयी। इसके अतिरिक्त निम्नवत तीन निर्माण सील किये गये।–

1. मकान नं0 6ए पत्रिका मार्ग सिविल लाइन्स में श्री अफजल,अजमल एवं अबरार अहमद,द्वारा किया गया अवैध निर्माण सील।
2. पार्ट आफ बंगला नं0 9 थार्नहिल रोड सिविल लाइन्स पर मो0 असद मकबूल, एवं मो0 अमीर किया गया अवैध निर्माण सील।
3. क्लाइब रोड स्थित श्री नीलकमल व श्री राजकमल पुत्र श्री महेश प्रसाद जायसवाल द्वारा भू उपयोग के विपरीत संचालित होटल वेलेन्टास सील किया गया।

जोन संख्या–03 में जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व मे अवैध निर्माणों के विरूद्ध 02 चालान, किया गया। एवं दो निर्माण सील किये गये जो निम्नवत है–

1. अराजी संख्या 51/1 मौजा मुस्तफावाद उपहार तिलक नगर में श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा लगभग 197 वर्ग मीटर में निर्माणाधीन मकान सील।
2. भवन सं0 69बी/3ई न्यू सोहबतियाबाग में श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व0 राजपति यादव द्वारा किया जा रहा निर्माणाधीन भवन सील किया गया तथा तलाब नवल राय स्थित श्रीमती चन्द्रा द्वारा निर्माणाधीन अनाधिकृत वारजा हटवाया गया।

जोन संख्या–02 में जोनल अधिकारी श्री जे0आर0मौर्या के नेतृत्व में 06 चालान, 04 नोटिस, निर्गत की गयी।

जोन संख्या–05 में जोनल अधिकारी श्री पी0एन0यादव के नेतृत्व मे 02 चालान की कार्यवाही की गयी।

जोन संख्या– 06 में जोनल अधिकारी श्री सत शुक्ला के नेतृत्व में 02 चालान की कार्यवाही की गयी।

इस प्रकार कुल 12 चालान, 10 नोटिस निर्गत की गयी।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

(पी0एन0यादव)<br>
प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क<br>
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण<br>
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक– समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में नि:शुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

03.08.17

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क